<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

Filling No.-235103001902012 परिवाद प्रकरण क.—382 / 2012 संस्थापित दिनांक—24.09.2012

1.चंपालाल पुत्र मनके आयु 40 साल जाति हरिजन धंधा मजदूरी निवासी नई बस्ती फतेहाबाद थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।
......परिवादी/अभियोगी
विरुद्ध

1.चंदन सिंह पुत्र बारेलाल आयु 25 साल जाति हरिजन धंधा द्धायवर निवासी नई बस्ती फतेहाबाद थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।
.....आरोपी

परिवादी द्वारा :— श्री पठान अधिवक्ता।
आरोपीगण द्वारा :— श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 01.03.2017 को घोषित)</u>

- 01— परिवादी चंपालाल पुत्र मनके थाना चंदेरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह परिवाद पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 294, 341 तथा 506 बी, 190 के अंतर्गत हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी एवं फरियादी का राजीनामा होने से आरोपी को भा.द.वि. की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भा. द.वि. की धारा 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— परिवादी का परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी चंपालाल ने आरोपी के विरुद्ध इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया कि नई बस्ती फतेहाबाद में दिनांक 03.01.11 को वह अपने घर से आ रहा था तब आरोपी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे गालियां दीं तथा पत्थर उठाकर मुक्के से मारा जिससे उसे चोट आई। परिवादी के अनुसार आरोपी द्वारा धमकी गई कि यदि रिपोर्ट करने गए तो जान से खत्म कर दूंगा। परिवादी के परिवाद पत्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 323, 190 भादिव के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विचारण प्रारंभ किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 323, 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी

का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.01.11 को समय शाम लगभग 5 बजे परिवादी को लोक सेवक की संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए क्षति कारित करने की धमकी दी ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— परिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में परि.सा. 01 चंपालाल की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है।

08— परिवादी साक्षी 01 चंपालाल ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी से उसका वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने उसके विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। परिवादी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए धमकी दी थी। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त परिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी गई। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10- प्रकरण में जप्तश्रदा सम्पत्ति कुछ नही है।

11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)